संख्या-751/2017/1252/22-2-2017-17(490)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री टीकाराम निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3 (एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री टीकाराम, निवासी-नगला पवारा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने श्रीमती लक्ष्मी देवी को बिहार राज्य से अपनी पत्नी बना कर लाया था जिसके पास एक लडकी थी, बन्दी उक्त सौतेली पुत्री के साथ दिनांक 26.11.2000 को लगभग 07:00 बजे बलात्कार। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/2001 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-1), एटा के आदेश दिनांक 16.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2007 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 16 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने श्रीमती लक्ष्मी देवी को बिहार राज्य से अपनी पत्नी बना कर लाया था जिसके पास एक लडकी थी, बन्दी उक्त सौतेली पुत्री के साथ दिनांक 26.11.2000 को बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी का होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री टीकाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-15642) पुत्र श्री टीकाराम निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-751/2017/1252(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-751/2017/1252/22-2-2017-17(490)/2017

दिनांक 31 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री टीकाराम, निवासी-नगला पवारा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने श्रीमती लक्ष्मी देवी को बिहार राज्य से अपनी पत्नी बना कर लाया था जिसके पास एक लडकी थी, बन्दी उक्त सौतेली पुत्री के साथ दिनांक 26.11.2000 को लगभग 07:00 बजे बलात्कार। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/2001 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-1), एटा के आदेश दिनांक 16.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2007 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 16 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने श्रीमती लक्ष्मी देवी को बिहार राज्य से अपनी पत्नी बना कर लाया था जिसके पास एक लडकी थी, बन्दी उक्त सौतेली पुत्री के साथ दिनांक 26.11.2000 को बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी का होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री टीकाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in